झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–4/न0वि0/गठन/107/2015–...2072... राँची, दिनांक–...11/06/15

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम–2, 1995 के द्वारा यथा संशोधित), जो उस समय झारखण्ड राज्य में अंगीकृत था, की धारा–6 के साथ पठित धारा–390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाकुड़ नगरपालिका को नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या–373, दिनांक–06.02.2006 के द्वारा पाकुड़ नगर पंचायत का गठन किया गया था।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–8 में **''नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण''** के अन्तर्गत पूर्व गठित नगर निकायों को पूर्ववर्त्ती जनसंख्या के प्रकाशित ऑकड़ों के आधार पर वर्गीकृत करने एंव धारा–13 **''नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का पुर्नगठन''** के अन्तर्गत पूर्व से गठित नगर निकायों को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के रूप में घोषित करने का प्रावधान है।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 8 की उपधारा (2)(ii) के अनुसार यदि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक और एक लाख से कम हो तो उक्त नगर निकाय क्षेत्र को नगर परिषद वर्ग–'ख' के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।

4. **झारखण्ड के राज्यपाल उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–331/न०पं०, दिनांक–01.03.14 से प्राप्त प्रतिवेदन एंव झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–8 एवं धारा–13 के आलोक में पाकुड़ नगर पंचायत की जनसंख्या 45,840 के आधार पर पूर्व से गठित पाकुड़ नगर पंचायत को पाकुड़ नगर परिषद, वर्ग–'ख' के रूप में उत्क्रमित करते हैं।**

5. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम–3 के तहत् पाकुड़ नगर परिषद्, वर्ग–'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:–

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
पाकुड़	पाकुड़ नगर परिषद, वर्ग–'ख'	45,840	40000	20	5,840	6,000	0.97	0	20

पाकुड़ नगर परिषद वर्ग–'ख' में आम (निकाय) निर्वाचन, 2018 के मद्देनजर झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के अध्याय–2, नियम–3 के तहत् वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या–21 एवं पार्षदों की संख्या भी 21 निर्धारित करते हैं।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/संकल्प/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

9/6/15

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

अधिसूचना संख्या–4 / न0वि0 / गठन / 107 / 2015–2072 राँची, दिनांक–11/06/15

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायीं जाय।

सरकार के सचिव।

अधिसूचना संख्या–4 / न0वि0 / गठन / 107 / 2015–2072 राँची, दिनांक–11/06/15

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अधिसूचना संख्या–4 / न0वि0 / गठन / 107 / 2015–2072 राँची, दिनांक–11/06/15

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास विभाग / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल / उपायुक्त, पाकुड़ / कार्यपालक पदाधिकारी, पाकुड़ नगर परिषद वर्ग–'ख' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।